भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग I, खंड I में प्रकाशनार्थ

फा. सं. 06/04/2026-डीजीटीआर

भारत सरकार

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग, 5, संसद मार्ग, नई दिल्ली - 110001

दिनांक : 11 मार्च, 2026

जांच शुरुआत अधिसूचना

मामला सं. एडी (ओआई) - 04/2026

विषय: ताइवान से "फ्थैलिक एनहाइड्राइड" के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरुआत

1. फा. सं. 6/04/2026-डीजीटीआर: समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा गया है) तथा समय-समय पर यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे 'नियमावली' कहा गया है), को ध्यान में रखते हुए, आईजी पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड(आईजीपीएल), थिरुमलाई केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड (टीसीएल) तथा टीसीएल इंटरमीडिएट्स प्राइवेट लिमिटेड (टीसीएलआईपीएल) (जिन्हें आगे "आवेदक" कहा गया है) ने निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे 'प्राधिकारी' कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया है, जिसमें ताइवान (जिसे आगे 'संबद्ध देश' कहा गया है) से "फ्थैलिक एनहाइड्राइड" के आयातों के संबंध में कथित पाटन की जांच आरंभ करने का अनुरोध किया गया है।

क. विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी)

2. विचाराधीन उत्पाद "फ्थैलिक एनहाइड्राइड (पीएएन)", फ्थैलिक अम्ल का प्रमुख वाणिज्यिक रूप है।
3. फ्थैलिक एनहाइड्राइड एक कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र सीएएच4(सी0)20 है। यह फ्थैलिक एिसड का एनहाइड्राइड है। फ्थैलिक एनहाइड्राइड (पीएएन) प्लास्टिक उद्योग में एक महत्वपूर्ण रासायनिक मध्यवर्ती वस्तु है। इस उत्पाद के विभिन्न उपयोगों

में प्लास्टिसाइज़र, पॉलिएस्टर रेज़िन, पेंट और लैकर में प्रयुक्त एल्काइड रेज़िन, पॉलिएस्टर पॉलीओल, रंग तथा पिगमेंट आदि शामिल हैं।

4. विचाराधीन उत्पाद का वर्गीकरण सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 29 के अंतर्गत उप-शीर्ष 2917 के अधीन किया गया है। विचाराधीन उत्पाद सामान्यतः 29173500 के अंतर्गत आयात किया जाता है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।
5. इस विषय जांच में रुचि रखने वाले पक्ष अपनी टिप्पणियाँ PUC/PCN पद्धति पर, यदि कोई हो, इस जांच के आरंभ की तिथि से 15 दिनों के भीतर प्रदान कर सकते हैं।
6. विचाराधीन उत्पाद के लिए निर्धारित मापन की इकाई मीट्रिक टन (MT) या किलोग्राम (Kg) है।

ख. <u>समान वस्तु</u>

7. आवेदक ने दावा किया है कि आवेदकों द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु और संबद्ध देश से निर्यातित संबद्ध वस्तु के बीच कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। आवेदकों द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु और संबद्ध देश से आयातित संबद्ध वस्तु इन विशेषताओं की दृष्टि से तुलनीय हैं जैसे भौतिक एवं रासायनिक विशेषताएं, विनिर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, कार्य एवं उपयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण एवं विपणन, वस्तुओं का टैरिफ वर्गीकरण। ये दोनों उत्पाद तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। उपभोक्ता दोनों का उपयोग एक दूसरे के स्थान पर कर रहे हैं। अतः आवेदकों द्वारा उत्पादित उत्पाद को संबद्ध देश से आयातित उत्पाद के समान वस्तु माना गया है।

ग. <u>संबद्ध देश</u>

8. वर्तमान जांच ताइवान से विचाराधीन उत्पाद के कथित पाटन के संबंध में की जा रही है।

घ. <u>जांच की अवधि</u>

9. आवेदकों ने 1 अक्टूबर 2024 से 30 सितंबर 2025 (12 माह की अवधि) को जांच की अवधि के रूप में प्रस्तावित किया है, जो आवेदकों के निष्पादन की सबसे हाल की अवधि है। प्रस्तावित अवधि को उपयुक्त माना गया है। क्षति अवधि में वर्ष 2022-23, 2023-24, 2024-25 तथा प्रस्तावित जांच अवधि शामिल है।

ड़. <u>घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति</u>

10. यह आवेदन आईजी पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, थिरुमलाई केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड तथा टीसीएल इंटरमीडिएट्स प्राइवेट लिमिटेड (जो थिरुमलाई केमिकल इंडस्ट्रीज की 100% स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है) द्वारा दायर किया गया है।

11. रिकॉर्ड में उपलब्ध जानकारी के अनुसार, आवेदकों ने संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है और न ही वे संबद्ध देश में विचाराधीन उत्पाद के किसी उत्पादक/निर्यातक या भारत में किसी आयातक से संबंधित हैं।

12. इसके दृष्टिगत और रिकॉर्ड पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर, प्राधिकरण यह सुनिश्चित करता है कि आवेदक नियम 2(b) के अर्थ में घरेलू उद्योग का निर्माण करते हैं। आवेदन नियम 5(3) के संदर्भ में स्थायी होने की आवश्यकताओं को पूरा करता है।

च. <u>कथित पाटन का आधार</u>

क. <u>सामान्य मूल्य</u>

13. पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुबंध-I के साथ पठित धारा 9क (1)(ग) के अंतर्गत, निर्यातक देश में सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए निम्नलिखित आधार हो सकते हैं: -

क. व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में निर्यातक देश के घरेलू बाजार में समान वस्तु की कीमत,

ख. जब समान वस्तु को निर्यातक देश या क्षेत्र से किसी उपयुक्त तीसरे देश को निर्यात की जाती है, तो उसकी तुलनीय प्रतिनिधि कीमत,

ग. मूलता के देश में उक्त वस्तु के उत्पादन की लागत, जिसमें प्रशासनिक, बिक्री एवं सामान्य लागत तथा लाभ के लिए उचित राशि जोड़ी गई हो।

14. आवेदकों ने अनुरोध किया है कि उन्होंने ताइवान के घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तु की कीमतों के संबंध में जानकारी/साक्ष्य प्राप्त करने के प्रयास किए। तथापि, ताइवान के घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तु की कीमतों से संबंधित साक्ष्य सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध नहीं हैं।

15. आवेदकों ने उत्पादन की लागत के अनुमान पर सामान्य मूल्य निर्धारित करने का प्रस्ताव दिया है, जिसमें मार्जिन के लिए उचित जोड़ शामिल है। सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए आवेदकों द्वारा प्रस्तावित कार्यप्रणाली पर विचार किया गया है।

ख. <u>निर्यात कीमत</u>

16. विचाराधीन उत्पाद की निर्यात कीमत का निर्धारण डीजी सिस्टम के आकड़ों में सूचित की गई विचाराधीन उत्पाद के सीआईएफ कीमत को ध्यान में रखते हुए किया गया है। इसमें समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, हैंडलिंग प्रभार, पत्तन व्यय, अंतर्देशीय परिवहन व्यय, कमीशन, ऋण लागत तथा बैंक प्रभार के लिए समायोजन किए गए हैं।

ग. <u>पाटन मार्जिन</u>

17. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना कारखाना-द्वार स्तर पर की गई है, जिससे प्रथम दृष्टया यह पता चलता है कि पाटन मार्जिन निर्धारित न्यूनतम स्तर से अधिक है तथा संबद्ध देश से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में काफी अधिक है। अतः इस बात के प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि संबद्ध देश से निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में विचाराधीन उत्पाद का पाटन किया जा रहा है।

छ. <u>क्षति तथा कारण संबंध</u>

18. आवेदकों ने घरेलू उद्योग को डंप किए गए आयातों के कारण हुई चोट के संदर्भ में प्राथमिक साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। संदर्भ देश से संबंधित आयातों की मात्रा दोनों, अर्थात् कुल और सापेक्ष रूप से बढ़ी है। आयातों के कारण मूल्य में कटौती और मूल्य गिरावट के साक्ष्य हैं। डंप किए गए आयातों में वृद्धि के साथ, आवेदकों का उत्पादन और बिक्री घट गई है। चोट के अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की क्षमता उपयोग दर घट गई है, और घरेलू उद्योग काफी खाली क्षमताओं के साथ संचालित हो रहा है। घरेलू आवेदकों के पास भंडारण में तेजी से वृद्धि हुई है। आवेदकों का बाजार हिस्सेदारी कम हुई है, जबकि संबंधित देशों की बाजार हिस्सेदारी बढ़ी है। संबंधित आयातों का घरेलू उद्योग की लाभप्रदता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

19. उपर्युक्त के आधार पर प्राधिकारी प्रथम दृष्टया यह पाते हैं कि ताइवान के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के संबंध में पाटन, घरेलू उद्योग को हुई क्षति तथा कथित पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं। अतः नियमावली के नियम 5 के प्रावधानों के अनुसार पाटनरोधी जांच की शुरूआत करने को उचित ठहराने हेतु पर्याप्त आधार मौजूद है, ताकि कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा तथा प्रभाव का निर्धारण किया जा सके और पाटनरोधी शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश की जा सके, जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी।

ज. <u>जांच की शुरुआत</u>

20. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत विधिवत रुप से साक्ष्यांकित आवेदन के आधार पर तथा आवेदक द्वारा पाटन तथा घरेलू उद्योग को हुई परिणामी क्षति को प्रमाणित करते हुए प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्यों/आधार पर संतुष्ट होने के पश्चात, प्राधिकारी एतद्द्वारा नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार, कथित पाटन तथा घरेलू उद्योग को हुई परिणामी वास्तविक क्षति के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरूआत करते हैं, ताकि कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा तथा प्रभाव का निर्धारण किया जा सके और पाटनरोधी शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश की जा सके, जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी।

झ. <u>प्रक्रिया</u>

21. इस जांच में पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 में निर्धारित प्रावधानों का पालन किया जाएगा।

ञ. <u>सूचना प्रस्तुत करना</u>

22. सभी हितबद्ध पक्षकारों को सेतु पोर्टल (https://setu.dgtr.gov.in/) पर स्वयं का पंजीकरण करना आवश्यक है। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा सभी पत्र एवं अनुरोध सेतु पोर्टल पर उनके पंजीकृत नाम एवं संबंधित मामला आईडी- एडी/ओआई/005/2026 के अंतर्गत अपलोड किए जाएंगे। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक हिस्सा पीडीएफ/एमएस-वर्ड फार्मेट और आकड़ों की फाइल एमएस-एक्सेल फार्मेट में खोजे जाने योग्य हो।
23. संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में स्थित उसके दूतावास के माध्यम से उनकी सरकार, तथा भारत में विचाराधीन उत्पाद से संबंधित समझे जाने वाले ज्ञात आयातकों एवं प्रयोक्ताओं को पृथक रूप से सूचित किया जा रहा है ताकि वे इस जॉच शुरूआत अधिसूचना में निर्धारित समय-सीमा के भीतर निर्धारित ढ़ग और प्रपत्र में समस्त संगत सूचना प्रस्तुत कर सकें। ऐसी समस्त सूचना इस जॉच शुरूआत अधिसूचना, नियमावली और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं में यथा विहित ढंग और तरीके से प्रस्तुत की जानी चाहिए।
24. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी इस जॉच शुरूआत अधिसूचना दी गई समय सीमा के भीतर इस जॉच शुरूआत अधिसूचना, नियमावली और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार

सूचनाओं में यथा विहित विहित ढ़ग और तरीके से जांच से संगत अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है।

25. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराने के लिए उसका अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

26. सभी हितबद्ध पक्षकारों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे इस जाँच से संबंधित किसी भी अद्यतन सूचना के लिए व्यापार उपचार महानिदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट www.dgtr.gov.in तथा सेतु पोर्टल (https://setu.dgtr.gov.in/) का नियमित रूप से अवलोकन करते रहें। हितबद्ध पक्षकारों को यह निर्देश दिया जाता है कि वे संबद्ध जाँच से संबंधित आगामी प्रगति की जानकारी प्राप्त करने हेतु डीजीटीआर की वेबसाइट www.dgtr.gov.in को नियमित रूप से देखते रहें तथा प्रश्नावली प्रारूप, पीसीएन पद्धति, पीसीएन चर्चा/बैठक कार्यक्रम, मौखिक सुनवाई की सूचना, प्रकटन, शुद्धिपत्र, संशोधन अधिसूचनाओं तथा अन्य संबंधित सूचनाओं के बारे में समय-समय पर जारी किए जाने वाले नोटिसों से अवगत रहें।

ट. <u>समय-सीमा</u>

27. वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना सेतु पोर्टल (https://setu.dgtr.gov.in) पर उनके पंजीकृत नाम से और संगत मामला आईडी एडी/ओआई/005/2026 के अंतर्गत अपलोड की जानी चाहिए। प्रत्येक अनुरोध के दोनों संस्करण, अर्थात् गोपनीय संस्करण (सीवी) तथा अगोपनीय संस्करण (एनसीवी), घरेलू उद्योग द्वारा दायर आवेदन के अगोपनीय संस्करण को प्राधिकारी द्वारा परिचालित किए जाने अथवा पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 6(4) के अनुसार निर्यातक देश के उपयुक्त राजनयिक प्रतिनिधि को प्रेषित किए जाने की तिथि से 37 दिनों के भीतर संबंधित निर्धारित कालमों में अपलोड किए जाने अनिवार्य हैं। यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अपूर्ण पाई जाती है, तो प्राधिकारी रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर तथा पाटनरोधी नियमावली, 1995 के प्रावधानों के अनुरूप अपने जॉच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

28. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्द्वारा यह सलाह दी जाती है कि वे वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) से अवगत कराएं और इस अधिसूचना में यथा निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रश्नावली का अपना उत्तर केवल सेतु पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत करें।

29. पीयूसी/पीसीएन पद्धति के दायरे संबंधी टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने हेतु 15 दिनों की अवधि, इस जॉच शुरूआत अधिसूचना में उपर्युक्त पैरा 27 में उल्लिखित समय-सीमा के साथ-साथ चलेगी।

30. पीयूसी/पीसीएन में संशोधन के कारण समय-विस्तार: यदि प्राधिकारी किसी उत्तरवर्ती सूचना के माध्यम से पीयूसी तथा पीसीएन में ऐसा संशोधन करते हैं, जो पूर्व में प्रस्तावित नहीं था अथवा जो जॉच शुरूआत अधिसूचना से अलग है, तो 15 दिनों का समय-विस्तार प्रदान किया जाएगा। यह 15 दिनों का समय विस्तार संशोधित पीयूसी तथा पीसीएन की अधिसूचना की तारीख से प्रदान किया जाएगा। इस पैराग्राफ में उल्लिखित 15 दिनों का समय-विस्तार उन मामलों में लागू नहीं होगा, जहाँ जाँच प्रारंभ होने के पश्चात पीयूसी तथा पीसीएन पद्धति में कोई परिवर्तन नहीं किया गया हो। 15 दिनों के उक्त समय-विस्तार (यदि प्रदान किया गया हो) से अतिरिक्त किसी और समय-विस्तार का अनुरोध पाटनरोधी नियमावली के नियम 7(4) के अनुरूप आपवादिक परिस्थितियों को छोड़कर, सामान्यतः स्वीकार नहीं किया जाएगा।

31. समय बढाने का कोई भी अनुरोध संबंधित पक्षकारों द्वारा उक्त पैराग्राफ 27 में उल्लिखित मूल समय-सीमा से कम से कम एक दिन पहले सेतु पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इस समय-सीमा के बाद प्रस्तुत अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

ठ. <u>गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना</u>

32. वर्तमान जाँच में यदि कोई पक्षकार प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध प्रस्तुत करता है या गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करता है, तो ऐसे पक्षकार को एडी नियमावली के नियम 7(2) के अनुसार और इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी संगत व्यापार सूचनाओं के अनुसार ऐसी सूचना का एक अगोपनीय अंश भी साथ में प्रस्तुत करना आवश्यक है। इसका पालन नहीं करने पर उत्तर/अनुरोध को अस्वीकार किया जा सकता है।

33. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (उनमें संलग्न परिशिष्टों/अनुबंधों सहित) करने वाले पक्षकारों को गोपनीय और अगोपनीय अनुरोध अलग-अलग प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

34. ऐसे अनुरोधों पर प्रत्येक पृष्ठ पर स्पष्ट रूप से "गोपनीय" या "अगोपनीय" अंकित किया जाना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्राधिकारी के समक्ष किए गए किसी भी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा "अगोपनीय" सूचना माना जाएगा, और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोधों का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।

35. गोपनीय अंश में ऐसी समस्त जानकारी शामिल होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है, और/या अन्य जानकारी, जिसके बारे में ऐसी जानकारी का प्रदाता द्वारा गोपनीय होने का दावा किया गया है। ऐसी जानकारी के लिए, जिसके स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा किया गया है, या जिस जानकारी की गोपनीयता का दावा अन्य कारणों से किया गया है, वहां सूचना के प्रदाता को प्रदान की गई जानकारी के साथ एक उचित कारण का विवरण भी प्रस्तुत करना होगा कि ऐसी जानकारी का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।

36. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत सूचना के अगोपनीय अंश को गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना पर निर्भर रहते हुए अधिमानत: सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई सूचना (जहाँ सूचीबद्ध करना संभव न हो) के गोपनीय अंश की अनुकृति होना अपेक्षित है। ऐसी सूचना को उस सूचना के आधार पर उचित और पर्याप्त रूप से सारांशीकृत किया जाना चाहिए जिसके संबंध में गोपनीयता का दावा किया गया है।

37. अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए जिससे गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय-वस्तु को उचित ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में, गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाला पक्षकार प्राधिकारी की संतुष्टि के आधार पर नियमावली, 1995 के नियम 8 और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं के अनुसार पर्याप्त और समुचित स्पष्टीकरण सहित ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत कर सकता है कि सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है।

38. हितबद्ध पक्षकार दस्तावेजों के अगोपनीय अंश के परिचालन की तारीख से 7 दिनों के भीतर घरेलू उद्योग द्वारा दावा की गई गोपनीयता के मुद्दों के संबंध में अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकते हैं।

39. प्रस्तुत की गई सूचना की प्रकृति की जाँच के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध आवश्यक नहीं है या यदि सूचना प्रदाता सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्यीकृत या सारांश रूप में इसके प्रकटन को अधिकृत करने के लिए अनिच्छुक है, तो वह ऐसी सूचना को अनदेखी कर सकते हैं।

40. गोपनीयता के दावे के संबध में नियमावली के नियम 8 और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचना के अनुसार, उसके सार्थक अगोपनीय अंश या पर्याप्त एवं उचित कारणों के विवरण के बिना प्रस्तुत किए गए किसी भी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकार्ड में नहीं लिया जाएगा।

41. प्राधिकारी, प्रदान की गई सूचना की गोपनीयता की आवश्यकता से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार करने लेने के बाद, ऐसी सूचना प्रदान करने वाले पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी भी पक्षकार को इसका प्रकटन नहीं करेंगे।

ड. <u>सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण</u>

42. किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा किए गए अनुरोधों के सभी अगोपनीय अंश अन्य हितबद्ध पक्षकारों को सेतु पोर्टल में उनके संबंधित लागिन के माध्यम से उपलब्ध रहेंगे।

ढ़. <u>असहयोग</u>

43. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर या प्राधिकारी द्वारा इस जॉच शुरूआत अधिसूचना में निर्धारित समयावधि या किसी अलग पत्र द्वारा प्रदत्त समय विस्तार के भीतर आवश्यक जानकारी देने से मना करता है या अन्यथा उसे उपलब्ध नहीं कराता है, या जाँच में अत्यधिक बाधा डालता है, तो प्राधिकारी ऐसे पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जॉच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केंद्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

(अमिताभ कुमार)
निर्दिष्ट प्राधिकारी